ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न0–1, सैक्टर–नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा सिटी

प्रेस विज्ञप्ति

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कोविड–19 महामारी बीमारी फैलने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये Lock Down को मद्देनजर रखते हुए पत्रांक–ग्रे0नो0 / अ0मु0का0अ0 (का0आ0) / 2020 / 972 दिनांक 22.05.2020 के माध्यम से ग्रेटर नोएडा परिक्षेत्र में उ0 प्र0 अपार्टमेंट एक्ट के अन्तर्गत सभी पंजीकृत अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA), रेजीडेंटस वेलफेयर एसोशिएशन (RWA) एवं को–ऑपरेकटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज (CGHS) द्वारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से शासन प्रणाली में जन भागीदारी हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में **Email-id-wsurbanservices@gnida.in** पर मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि 15.06.2020 है।

तदक्रम में स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत आवासीय सैक्टर्स एवं प्राधिकरण द्वारा निर्मित आवासीय सोसायटी के आर0डब्लू0ए0 (पंजीकृत) प्राधिकरण से शासन प्रणाली में जन भागीदारी हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सभी पंजीकृत को–ऑपरेकटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज (CGHS) एवं अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 में उल्लेखित नियम एवं शर्तो के आधार पर ही कार्य करेगीं तथा इन्हें मान्यता प्राप्त करने हेतु कोई आवश्यकता नही होगी तथा सक्षम अधिकारी के यहॉ इनका पंजीकरण ही पर्याप्त होगा तथा उ0प्र0 अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन एक्ट में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार कार्य करेगें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें ।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी